"परियोजना – प्रतिवेदन"

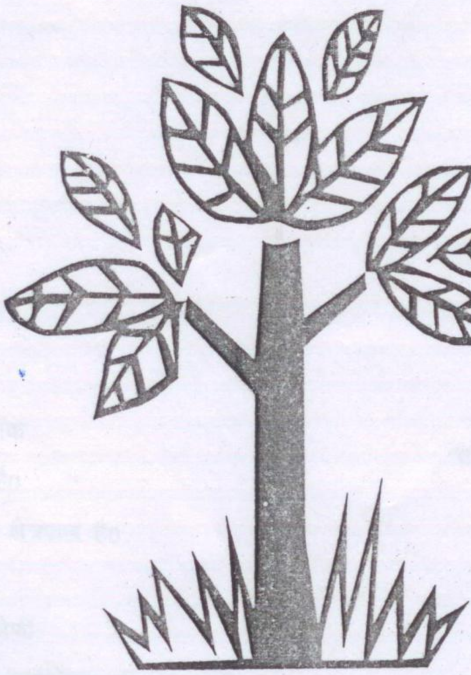

वैकल्पिक वृक्षारोपण बरखाड़ी

कक्ष क्रमांक	राजस्व
कक्ष का क्षेत्रफल	1.83 है.
प्रस्तावित क्षेत्रफल	1.83 है.
परियोजना राशि	3557376
ग्राम वन समिति :–	बरखाड़ी
योजना की अवधि	वर्ष 2015–16 से 2024–25 तक
स्थल का नाम	बरखाड़ी

परियोजना प्रस्तुतकर्ता :
वन परिक्षेत्राधिकारी सतनवाड़ा
वनमण्डल सामान्य शिवपुरी (म0प्र0)

भाग–1 सामान्य विवरण

1	वन वृत्त	:	शिवपुरी
2	वन मण्डल	:	शिवपुरी
3	परिक्षेत्र	:	सतनवाड़ा
4	तहसील	:	शिवपुरी
5	विधान सभा	:	पोहरी
6	जनपद पंचायत	:	शिवपुरी
7	ग्राम पंचायत	:	बम्हारी
8	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:	बम्हारी
9	परिसर (बीट)	:	झोंपड़ी
10	वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक	:	राजस्व सर्वे नं. 56
11	कक्ष का कुल क्षेत्रफल है0	:	1.83
12	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल है0	:	1.83
13	कार्य वृत्त	:	—
14	उपचार श्रेणी /पातन श्रेणी	:	—
15	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	:	—
16	प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये कार्य	:	निरंक
17	गठित समिति का प्रकार	:	ग्राम वन समिति
18	समिति का मुख्यालय	:	बरखाड़ी
19	समिति में सम्मिलित गांव	:	बरखाड़ी
20	समिति के अध्यक्ष का नाम	:	श्री लक्खा आदिवासी
21	समिति के सचिव का नाम	:	श्री केशव प्रजापति व.र.
22	परिसर रक्षक का नाम	:	श्री अनिल वर्मा व.र.
23	परिक्षेत्र सहायक का नाम	:	श्री राधेश्याम तिवारी वनपाल
24	क्षेत्र की भौगोलिक रचना :	:	
	ए. एस्पेक्ट (प्रवण)	:	पश्चिम
	बी. ढलान	:	0 से 5 तक
	सी. चट्टानों का विवरण	:	विध्यन रौल रॉक समूह
	डी. मिट्टी का प्रकार	:	भुरभुरी
	ई . नरम मिट्टी का क्षेत्र	:	—
	एफ कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	:	1.83 हैक्टर
25	वन का प्रकार		राजस्व

26	वन धनत्व	रिक्त वन
27	स्थल की जी.पी.एस. रीडिंग	
28	क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां	—
29	रोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियां	खैर ,सिंरसू ,चिरोल ,करंज ,नीम ,आवला ,खमेर इत्यादि
30	कक्ष के वन प्रबंधन का इतिहास	राजस्व क्षेत्र
31	योजना का उद्देशय	1–वनीकरण कर वनों के घनत्व में वृद्दि करना 2–मृदा एवं जल संरक्षण करना । 3–स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करना 4–ग्रामीणों की निस्तार की आवश्यकता की पूर्ति करना । 5–ग्रामीणों को रोजगार प्रदाय कर उनके पलायान को रोकना । 6– अतिक्रमण से क्षेत्र का बचाव करना ।
32	उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण	1– क्षेत्र की सुरक्षा के लिये पशु अवरोधक दीवार से की जावेगी । 2–क्षेत्र में फैली आवंछित झाडियों को निकालकर एवं जलाकर सफाई कार्य कराया जावेगा । 3–पौधा रोपण हेतु चिन्हांकन कर गडढे खोदे जावेंगे 4–गडडो में उपजाउ मिटटी,गोवर खाद एवं नीमखली का मिश्रण डाला जावेगा । 5– क्षेत्र की मिटटी का परीक्षण करवाया जायेगा तदउपरांत स्थल की मांग अनुसार रासायनिक तत्वों से उपचारित किया जायेगा । 6–क्षेत्र में खैर ,सिरसू ,चिरोल ,करंज ,नीम ,आवला ,खमेर इत्यादि प्रजातियों के पौधों का रोपण कर निदाई गुढाई एवं कीटनाशक का छिडकाव किया जावेगा । 7–अग्नि सुरक्षा एवं क्षेत्र सुरक्षा का कार्य किया जावेगा 8–पौधा परिवहन एवं मूल्यांकन कार्य हेतु मुख्य मार्ग से रोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का निर्माण किया जावेगा ।

33 लक्ष्य प्राप्ति की सीमा — वर्ष 2015–16 से 2024–25 तक

34 लक्ष्य प्राप्ति की रण नीति — प्रस्तावित क्षेत्र में कराये जाने वाले कार्य एवं भविष्य में क्षेत्रा की सुरक्षा के दायित्वों को वन समिति के सहयोग से किया जायेगा। कार्य कराने के पूर्व क्षेत्रा का उपचार मानचित्र परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 1:15000 के स्केल पर तैयार किया जाकर स्थल की आवश्यकता के अनुरूप कार्य कराये जायेंग लक्ष्य प्राप्ति हेतु संयुक्त वन प्रबंधन की रणनीति को प्राथमिकता दी जायेगी। वनसुरक्षा में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त होने वाली वनोपज के वितरण की व्यवस्था का प्रावधान समिति सदस्यों से चर्चा कर ठहराव प्रस्ताव के अनुसार किया जायेगा।

35 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अ. आंतरिक् मूल्यांकन — वनमण्डल के अंतर्गत बरिष्ठ द्वारा निर्देशित मूल्यांकन पद्धति से माह मई एवं माह अक्टूबर में क्षेत्रा का मूल्यांकन कराया जायेगा। जिसकी प्रविष्टि प्लांटेशन जनरल में की जायेगी।

ब.वाह्य मूल्यांकन — वन वृत्त शिवपुरी के अंतर्गत शिवपुरी, गुना एवं अशोकनगर वनमण्डल के मध्य बाह्य मूल्यांकन का कार्य मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी के निर्देशानुसार कराया जायेगा।

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

प्रथम वर्ष 2015–16 (क्षेत्र तैयारी) मा.दि. दर 264.00

वैकल्पिक वृक्षारोपण बरखाड़ी कक्ष.क्र. राजस्व 1.83 है.

क	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हैक्टर	1.83	118.80	217.00
2	क्षेत्र सफाई कार्य	हैक्टर	1.83	1056.00	1932.00
3	सी.पी. डब्लू निर्माण साईज 150x100x150 cm	र.मी.	600	597.00	358200.00
4	लोहे का गेट मय पिलर	L/S			30000.00
5	गडडा चिन्हांकन	गडडा	3000	0.66	1980.00
6	गडडा खुदाई रोपण हेतु (45X45X45CM)	गडडा	3000	13.20	39600.00
7	खाद क्रय				
	अ.गोबर खाद 10 प्रतिशत	घ.मी.	27	700.00	18900.00
	ब. नीम की खली 200 ग्राम प्रति पौधा	क्विटल	6	2500.00	15000.00
8	मिटटी बदलना 20 प्रतिशत	घ.मी.	54	300.00	16200.00
9	रोपणी व्यय / पौधा क्रय 10 प्रतिशत कैजुअल्टी सहित	पौधा	3300	40.00	132000.00
10	सिंचाई व्यवस्था पाईप लेजम इत्यादि				50000.00
11	निरीक्षण पथ का निर्माण	L/S			5000.00
12	लेवर हट	L/S			10000.00
13	अन्य आकस्मिक व्यय रस्सी चूना आदि	L/S			10971.00
	योग प्रथम वर्ष				690000.00
	प्रति हैक्टर व्यय				377049.18

द्वितीय वर्ष 2016–17 रोपण कार्य मा.दि. दर 290.00

क	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	2	3	4	5	6
1	परिवहन – रोपणी से रोपण स्थल तक वाहन द्वारा पौधो का परिवहन 10 प्रतिशत केजुअल्टी सहित	पौधा	3300	17.40	57420.00
2	रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड्ढों तक पहुंचाना	पौधा	3300	1.16	3828.00
3	नीम खली एवं गोबर खाद का मिटटी के साथ मिश्रण कर गडडो में डालना	मा.दि.	45	290.00	13050.00
4	पौधा रोपण	पौधा	3000	5.22	15660.00
5	प्रथम निंदाई कार्य 10 प्रतिशत मृत पौधे बदलना	पौधा	3000	3.63	10890.00
6	द्वितीय निंदाई कार्य	पौधा	3000	2.90	8700.00
7	तृतीय निंदाई कार्य	पौधा	3000	2.90	8700.00
8	कीटनाशक एवं रासायनिक खाद कय	L/S			5000.00

9	खाद डालना एवं कीट नाशक छिड़काव	मा.दि.	20	290.00	5800.00
10	अग्नि सुरक्षा	मा.दि.	10	290.00	2900.00
11	टेंकर द्वारा पानी प्रदाय कर सिंचाई व्यय माह अक्टूबर से मार्च तक 6 माह	पौधा	3000	20.00	60000.00
12	क्षेत्र सुरक्षा 9 माह 1 श्रमिक	मा.दि.	270	290.00	78300.00
13	अन्य आकस्मिक व्यय	Ls			9752.00
	योग द्वितीय वर्ष				280000.00
	प्रति हैक्टर व्यय				153005.00

तृतीय वर्ष 2017–18 (रखरखाब कार्य) मा.दि. दर 319.00

क	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	2	3	4	5	6
1	रोपणी व्यय मृत पौधो की स्थान पूर्ति हेतु 15 प्रतिशत कैजुअल्टी सहित	पौधा	450	40.00	18000.00
2	पौधा परिवहन	पौधा	450	19.14	8613.00
3	प्रथम निंदाई	पौधा	3000	3.99	11970.00
4	द्वितीय निंदाई कार्य	पौधा	3000	3.19	9570.00
5	अग्नि सुरक्षा	मा.दि.	10	319.00	3190.00
6	टेंकर द्वारा पानी प्रदाय कर सिंचाई व्यय माह अप्रेल से जून, अक्टूबर से मार्च तक 9 माह	पौधा	3000	24.75	74250.00
7	क्षेत्र सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	मा.दि.	360	319.00	114840.00
8	कीटनाशक एवं रासायनिक खाद कय	Ls			5000.00
9	रासायनिक खाद डालना एवं कीट नाशक छिड़काव	मा.दि.	30	319	9570.00
10	अन्य आकस्मिक व्यय	Ls			4997.00
	योग तृतीय वर्ष				260000.00
	प्रति हैक्टर व्यय				142077.00

चतुर्थ वर्ष 2018–19 रखरखाव कार्य मा.दि. दर 351.00

क	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	2	3	4	5	6
1	रोपणी व्यय मृत पौधो की स्थान पूर्ति हेतु 10 प्रतिशत कैजुअल्टी सहित	पौधा	300	9.00	2700.00
2	पौधा परिवहन	पौधा	300	7.37	2211.00
3	प्रथम निंदाई कार्य	पौधा	3000	4.39	13170.00
4	अग्नि सुरक्षा	मा.दि.	10	351.00	[illegible]510.00
5	टेंकर द्वारा पानी प्रदाय कर सिंचाई व्यय माह अप्रेल से जून, अक्टूबर से मार्च तक 9 माह	पौधा	3000	27.00	[illegible]1000.00
6	कीटनाशक एवं रासायनिक खाद कय	Ls			[illegible]000.00

7	रासायनिक खाद डालना एवं कीट नाशक छिड़काव	मा.दि.	30	351	10530.00
8	क्षेत्र सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	मा.दि.	360	351.00	126360.00
9	अन्य आकस्मिक व्यय	Ls			10612.00
	योग चतुर्थ वर्ष				255093.00
	प्रति हैक्टर व्यय				139395.00

पंचम वर्ष 2019–20 (रख रखाव कार्य) मा.दि. दर 386.00

क	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	2	3	4	5	6
1	अग्नि सुरक्षा	मा.दि.	10	386.00	3860.00
2	प्रथम निंदाई कार्य	पौधा	3000	4.83	14490.00
3	क्षेत्र सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	मा.दि.	360	386.00	138960.00
4	अन्य आकस्मिक व्यय	Ls			7690.00
	योग पंचम वर्ष				165000.00
	प्रति हैक्टर व्यय				90163.93

षष्ठम वर्ष 2020–21 (रख रखाव कार्य) मा.दि. दर 425.00

क	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	2	3	4	5	6
1	अग्नि सुरक्षा	मा.दि.	10	425.00	4250.00
2	क्षेत्र सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	मा.दि.	360	425.00	153000.00
3	अन्य व्यय	Ls			2750.00
	योग षष्ठम वर्ष				160000.00
	प्रति हैक्टर व्यय				87432.00

सप्तम वर्ष 2021–22 (रख रखाव कार्य) मा.दि. दर 468.00

क	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	2	3	4	5	8
1	अग्नि सुरक्षा	मा.दि.	10	468.00	4680.00
2	क्षेत्र सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	मा.दि.	360	468.00	168480.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय	Ls			6840.00
	योग सप्तम वर्ष				180000.00
	प्रति हैक्टर व्यय				98361.00

अष्टम वर्ष 2022–23 (रख रखाव कार्य)   मा.दि. दर 515.00

क	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	2	3	4	5	8
1	अग्नि सुरक्षा	मा.दि.	10	515.00	5150.00
2	क्षेत्र सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	मा.दि.	360	515.00	185400.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय	Ls			4450.00
	योग अष्टम वर्ष				**195000.00**
	प्रति हैक्टर व्यय				**106557.00**

नवम वर्ष 2023–24 (रख रखाव कार्य)   मा.दि. दर 567.00

क	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	2	3	4	5	8
1	अग्नि सुरक्षा	मा.दि.	10	567.00	5670.00
2	क्षेत्र सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	मा.दि.	360	567.00	204120.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय	Ls			5210.00
	योग नवम वर्ष				**215000.00**
	प्रति हैक्टर व्यय				**117486.00**

दशम वर्ष 2024–25 (रख रखाव कार्य)   मा.दि. दर 624.00

क	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	2	3	4	5	8
1	अग्नि सुरक्षा	मा.दि.	10	624.00	6240.00
2	क्षेत्र सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	मा.दि.	360	624.00	224640.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय	Ls			4120.00
	योग दशम वर्ष				**235000.00**
	प्रति हैक्टर व्यय				**128415.00**

व्यय का गोशवारा

क्र	वर्ष	कुल व्यय	प्रति है0 व्यय
1	2	3	4
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी	690000.00	377049.00
2	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य	280000.00	153005.00
3	तृतीय वर्ष रखरखाव	260000.00	142077.00
4	चतुर्थ वर्ष रखरखाव	255093.00	139395.00
5	पंचम वर्ष रखरखाव	165000.00	90164.00
6	षष्ठम वर्ष रखरखाव	160000.00	87432.00
7	सप्तम वर्ष रखरखाव	180000.00	98361.00
8	अष्टम वर्ष रखरखाव	195000.00	106557.00
9	नवम वर्ष रखरखाव	215000.00	117486.00
10	दशम वर्ष रखरखाव	235000.00	128415.00
	योग	**2635093.00**	**1439942.00**

	आस्थामूलक 12 प्रतिशत	316211.16	172793.00
	अनुश्रवण मूल्यांकन 20 प्रतिशत	527018.60	287988.00
	मानव संसाधन विकास 3 प्रतिशत	79052.79	43198.00
	कुल योग	**922282.55**	**503980.00**
	महायोग	**3557375.55**	**1943921.00**

टीप– प्रोजेक्ट दर 264 की दर से तैयार की जाकर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। परन्तु भविष्य में दैनिक दर में वृद्धि होने से तत्समय प्रचलित दर अनुसार व्यय संभावित है। प्रोजेक्ट में नियमानुसार वृक्षारोपण की कुल राशि का आस्थामूलक 12 प्रतिशत , मानव संसाधन विकास 3 प्रतिशत अनुश्रवण मूल्यांकन 20 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है।

वन संरक्षक	उपवनमण्डलाधिकारी	वन परिक्षेत्राधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी	शिवपुरी	वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा

अनुमोदित

मुख्य वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

कार्यालय वनसंरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी (म.प्र.)

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2016 / 7 शिवपुरी, दिनांक 6 – 1 –2016

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पॉवर कमांक–जी / 17 / 1 / 95 सी.चार, दिनांक 5–10–1995 के वाल्यूम भाग–2 के कमांक–14बी के संशोधन अनुसार 14 बी के प्रत्यायोजित प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग का ज्ञाप क. / 621 / 3 / नियम / 04, दिनांक 3–9–2003 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनमंडलाधिकारी, शिवपुरी के पत्र कमांक / डी.एम. / 7301 दिनांक 26.12.2015 से प्राप्त प्रोजेक्ट अनुसार निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

वन परिक्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	सर्वे कमांक / स्थल	क्षेत्रफल (है.मे)	योजना अवधि	कुल प्रस्तावित राशि		
					रोपण एवं आस्थामूलक कार्य	मानव संसाधन विकास, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
सतनवाड़ा	सीवर लाईन	56 बरखाड़ी	1.83	2015–16 से 2024–25	2951304	606071	3557375

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :–

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाय एवं समय–समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन होने पर ही कार्य कराया जावे। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।
9. वृक्षारोपण हेतु अंतर की राशि एवं उस राशि पर मुख्यालय के निर्देशानुसार उपयोगकर्ता संस्था से वृक्षारोपण हेतु कुल राशि के निर्धारित प्रतिशत अनुसार जो राशि आस्थामूलक कार्यों, अनुश्रवण मूल्यांकन कार्यो तथा मानव संसाधन विकास कार्य एवं के रूप में ली जानी है, की मांग की जाकर राशि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
10. आस्थामूलक कार्य, अनुश्रवण मूल्यांकन कार्य एवं मानव संसाधन विकास कार्य की राशि का उपयोग बिना इस कार्यालय की स्वीकृति के न किया जावे। आस्थामूलक कार्यों हेतु आवश्यकता अनुसार सक्षम स्तर से स्वीकृति जारी होने पर ही कार्य करायें।

कार्यालय संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी 28 8-1-16

11. समय–समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
12. कार्य समाप्ति उपरांत कार्य समाप्ति प्रतिवेदन भेजे।
13. प्लांटेशन जर्नल में उप वनमंडलाधिकारी के द्वारा जारी रोपण के लिये स्थल की उपयोगिता उपयुक्तता बावत् प्रमाण पत्र की स्वच्छ प्रति भी लगायी जावे।
14. चयनित स्थल का क्षेत्र तैयारी के पूर्व, रोपण के समय एवं रोपण के पश्चात फोटोग्राफ्स लेने के लिये निश्चित स्थान चिन्हित किये जायें।
15. प्रोजेक्ट में कराये गये कार्य का 100 प्रतिशत मूल्यांकन परिक्षेत्र अधिकारी, 50 प्रतिशत उप वनमंडलाधिकारी एवं 20 प्रतिशत वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष किया जावेगा। वनमंडलाधिकारी स्तर पर कराये गये मूल्यांकन में रोपित पौधों का प्रजातिवार जीवितता प्रतिशत एवं बढ़त भी ज्ञात किया जावे।
16. रोपित पौधों से कम से कम 75 प्रतिशत स्वस्थ्य पौधे जीवित रहें।
17. पौधों की गिनती करने एवं ऊँचाई नापने की कार्यवाही प्रोजेक्ट अवधि तक कंडिका 15 अनुसार माह अप्रेल में करके जानकारी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, भू–प्रबंध एवं इस कार्यालय को प्रतिवर्ष दिनांक 31 मई तक भेजना सुनिश्चित करेंगे।

6/1/16
(आनन्द कुमार)
मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पृ.कमांक / कैम्पा / 2016 / 80 शिवपुरी, दिनांक : 6 – 1 –2016
प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर, उक्त अनुमोदित प्रोजेक्ट की प्रति संलग्न सम्प्रेषित है।
3. मुख्य वनसंरक्षक एवं संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी की ओर उनके पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2731 दिनांक 17–10–2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. वनसंरक्षक, वनमण्डल शिवपुरी की ओर उनके पत्र कमांक / डी.एम. / 7301 दि. 26–12–2015 के संदर्भ में उक्त अनुमोदित प्रोजेक्ट की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न अग्रेषित।
5. वरिष्ठ मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

6/1/16
मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी
6.1.16